कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 63/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल वी.पी.ओ. अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

--प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः-05.12.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा ने सूचना देने से इन्कार कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन पत्र दिनांक 13.8.2019 अनुसार उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 13.8.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है तो नहीं की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official